न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 195/2025

01. शान्ती देवी पत्नी रिछपाल महला जाति जाट साकिन पालडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। .....
वादीया

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....
प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–22.05.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीया ने अपने चाचा प्रतापसिंह पुत्र हरदयालसिंह साकिन अलायत से उनकी खातेदारी चक 20 के.एच.एम.ए के मु.नं. 218/61 के किला नं. 1 ता 25 तादादी 25 बीघा यानी 6.3225 हैक्टेयर भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 16.06.2007 को खरीदकर उप0 पंजियक खाजूवाला में करवा रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जिस पर खरीद दिन से लेकर आज तक वादीया काबिज काश्त है। मौके पर ग्वार की खेती कर रखी है। वादीया का नाम वोटर आईडी में शान्ति की जगह भाती दर्ज होने बैयनामा में ही त्रुटी या उसी अनुरूप दर्ज रहा लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भाती पत्नी रिछपाल ही दर्ज रहा। अब सरकार की वित्तीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर गोर किया तो उक्त त्रुटी की जानकारी हुई। भाती ही शान्ति देवी है चूंकि भाती नाम घरेलु दादा द्वारा रखा हुआ था और दादा भाती के नाम से ही पुकारा करते थे जिसका प्रमाण सरपंच, डायरेक्टर एवं मौजीज लोगो की ताईद है। वादीया उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दुरूस्ति अपने नाम भाती की जगह राजस्व रिकॉर्ड में शान्तिदेवी दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादीया ही काबिज काश्त है एवं समय–समय पर लगान एवं राजस्व वादीया अदा करवाती रही है। राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम भाती दर्ज होने से काफी परेषानीया हो गई है तथा भविष्य में और दिक्कते ना आये न्यायहित में रिकार्ड में नाम दुरस्ति आवष्यक है। इस त्रुटि को जानकारी में आते ही राजस्व कैम्प एवं तहसीलदार खाजूवाला के यहां शुद्धी करने हेतु आवेदन किया तो उन्होंने दिनांक 30.10.25 को कहा कि आप न्यायालय से आदेश लावें तो ही शुद्धी होगी इसलिए वादीया न्यायालय हाजा में हाजिर आई है। दिनांक 30.10.2025 को प्रतिवादी सं. 1 से इन्कारी मिली है और यही घटना से वादीया को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। मामला आवश्यक प्रकृति का है जिसमें स्टेट को केवल लेण्ड रिकॉर्डधारी होने के नाते पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई विशेष रिलिफ नहीं चाही है इसलिए वादीया दो माह के नोटिस की छुट के साथ वाद पेश करने की अनुमति चाहती है। इस आश्य की घोषणात्मक दुरस्ती की जावे कि वादीया की खातेदारी चक 20 के.एच.एम.ए के 218/61 के किला नं. 1 ता 25 तादादी 25 बीघा यानी 6.3225 हैक्टेयर भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के रिकार्ड में वादीया का नाम भाती पत्नी रिछपाल दर्ज हुआ है की जगह जरिये घोषणात्मक दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में संसोधन कर वादीया का आधार दस्तावेजी नाम शान्तिदेवी पत्नी रिछपाल महला जाति जाट साकिन पालडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावें। अन्या जो भी दादरसी न्यायालय उचित समझे वादीया के पक्ष में प्रदान की जावें।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीया ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, बैयनामा, जनआधार, पैनकार्ड की प्रति, स्वयं का शपथ पत्र एवं बैयनामा कर्ता प्रतापसिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत भाडी पंचायत समिति भादरा की तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि शान्तिदेवी पत्नी रिछपाल महला को मे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। भाती पत्नी रिछपाल महला नाम भी एक ही महिला के हैं। में इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इनके आधार कार्ड के आधार पर अंकित नाम से इनको सम्बोधित किया जाए। शान्तिदेवी का आधार कार्ड नम्बर (5303–7090–0669) है। रिछपाल महला का आधार कार्ड नम्बर (7137–0035–0669) है। पत्रावली पर सुना गया। वादीया ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीया का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं खाजूवाला चक 20 के.एच.एम.ए के मु.नं. 218/61 के किला नं. 1 ता 25 तादादी 25 बीघा यानी 6.3225 हैक्टेयर भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम भाती पत्नी रिछपाल की जगह शान्तिदेवी पत्नी रिछपाल महला संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भाती पत्नी रिछपाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भाती पत्नी रिछपाल नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम भाती पत्नी रिछपाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थीया/वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)